

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022023-243509  
CG-DL-E-07022023-243509

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585]  
No. 585]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2023/माघ 18, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 18, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2023

आय-कर

**का.आ. 614(अ).**—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 168 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 167 के अधीन प्रस्तुत विवरण के प्रसंस्करण हेतु निम्नलिखित स्कीम बनाता है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम केंद्रीयकृत समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण स्कीम, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषाएं :-** इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) अभिप्रेत है;

(ख) “प्राधिकृत प्रतिनिधि” का वही अर्थ होगा जो इसका आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 288 की उप-धारा (2) में है;

(ग) “केंद्र” से केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र जो विवरणियों की केंद्रीयकृत प्रसंस्करण स्कीम, 2011 के पैरा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट है, अभिप्रेत है;

(घ) “आयुक्त” से आयकर आयुक्त, केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, जो विवरणियों की केंद्रीयकृत प्रसंस्करण स्कीम, 2011 के पैरा 2 के खंड (घ) में निर्दिष्ट है, अभिप्रेत है;

(ङ) “अभिहित पोर्टल” से ऐसा वेब पोर्टल अभिप्रेत है, जो यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक(प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इस प्रकार अभिहित किया जाए ;

(च) “महानिदेशक” से यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक(प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) अभिप्रेत है;

(छ) “नियम” से समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 अभिप्रेत है;

(ज) “ई-मेल” से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर स्रोत या सूचना युक्ति पर सृजित या प्रेषित या प्राप्त कोई संदेश या जानकारी, जिसके अंतर्गत पाठ, चित्र, आडियो, वीडियो और किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रिकार्ड के रूप में संलग्नक भी है जिसे संदेश के साथ पारेषित किया जाए, अभिप्रेत है,;

(झ) “समकरण उद्ग्रहण विवरण” से अधिनियम की धारा 167 के अधीन प्रस्तुत किया गया विवरण अभिप्रेत है;

(ञ) निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक के “रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक लेखा” से अभिहित पोर्टल पर निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक फाइलिंग लेखा अभिप्रेत है;

(ट) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम के अध्याय VIII के अधीन परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उस अध्याय में हैं।

**3. स्कीम का क्षेत्र –** यह स्कीम समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण के संबंध में लागू होगी।

**4. समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत करना –** (1) प्रत्येक निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक, इन नियमों के नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन विहित समय के भीतर अधिनियम की धारा 167 की उप-धारा (1) के अधीन समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत करेगा।

(2) कोई निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक उस वित्तीय वर्ष, जिसमें विनिर्दिष्ट सेवाएं दी गई थीं या ई-वाणिज्य प्रदाय या सेवाएं दी गई या उपलब्ध कराई गई या सुकर की गई, के अंत से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति समकरण उद्ग्रहण विवरण या पुनरीक्षित समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) कोई निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक किसी नोटिस, जो नियमों के नियम 6 के अनुसार अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (3) के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा भेजा जाए, के प्रत्युत्तर में समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत कर सकेगा।

**5. अविधिमान्य समकरण उद्ग्रहण विवरण –** आयुक्त,

(i) महानिदेशक द्वारा अननुमोदित और किसी अविधिमान्य साफ्टवेयर प्रयोग के लिए प्रक्रिया का अननुपालन करने ; या

(ii) समकरण उद्ग्रहण विवरण में अधूरी जानकारी के कारण, किसी समकरण उद्ग्रहण विवरण को अविधिमान्य घोषित कर सकेगा।

**6. समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण–** (1) केंद्र, किसी विधिमान्य समकरण उद्ग्रहण विवरण का निम्न रीति में प्रसंस्करण करेगा, अर्थात् :-

(क) समकरण उद्ग्रहण विवरण में किसी अंकगणितीय त्रुटि का समायोजन करने के पश्चात् समकरण उद्ग्रहण संगणित किया जाएगा;

(ख) समकरण उद्ग्रहण विवरण में यथा संगणित, यथास्थिति कटौती योग्य या संदेय राशि के आधार पर ब्याज, यदि कोई हो, संगणित किया जाएगा;

(ग) निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा संदेय राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम का अवधारण खंड (ख) के अधीन संगणित रकम का अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (2) या अधिनियम की धारा 166क या धारा 170 के अधीन संदत्त रकम और कर या ब्याज के माध्यम से अन्यथा संदत्त रकम से समायोजन करने के पश्चात् किया जाएगा ;

(घ) खंड (ग) के अधीन निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा संदेय अवधारित राशि को या उसे देय प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए, उस वित्तीय वर्ष जिसमें समकरण उद्ग्रहण विवरण या पुनरीक्षित समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत किया गया है, के अंत से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई सूचना तैयार या सृजित नहीं की जाएगी और न ही निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक को भेजी जाएगी; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक को देय प्रतिदाय की रकम उसे अनुदत्त की जाएगी ।

(2) जहां कोई पुनरीक्षित समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत किया जाता है वहां केंद्र केवल पुनरीक्षित समकरण उद्ग्रहण विवरण का प्रसंस्करण करेगा और मूल समकरण उद्ग्रहण विवरण पर यदि पहले से ही कोई प्रसंस्करण न किया गया हो तो, आगे कोई कार्रवाई न की जाएगी ।

(3) आयुक्त, -

(क) समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण के लिए समुचित प्रक्रिया अंगीकार कर सकेगा; या

(ख) प्रशासनिक अपेक्षाओं के आधार पर समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण के लिए पूर्विक्ता अनुक्रम विनिश्चित कर सकेगा ।

(4) निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक, अधिनियम की धारा 168 के अधीन जारी किसी सूचना का संशोधन करने के लिए, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से जिसमें उस सूचना को जारी किया गया था जिसका संशोधन करने की ईप्सा की गई है, एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(5) जब कभी किन्हीं कारणों से किसी समकरण उद्ग्रहण विवरण को केंद्र द्वारा प्रसंस्कृत नहीं किया जाता है तो आयुक्त अधिनियम के अध्याय VIII के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक के संबंध में अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी विवरणी पारेषित करने की व्यवस्था करेगा ।

(6) समकरण उद्ग्रहण विवरण के प्रसंस्करण में त्रुटि की दशा में, आंकड़ा प्रविष्टि में त्रुटि या किसी साफ्टवेयर त्रुटि या अन्यथा के कारण, जिसके परिणामस्वरूप अधिक प्रतिदाय संगणित किया जा रहा है या कर की मांग में कटौती अधिक की जा रही है तो उसे केंद्र द्वारा सुधार आदेश पारित करके स्वतः ही ठीक किया जाएगा और अतिरिक्त रकम की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से धारा 227, धारा 229 और धारा 232 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

(7) जहां निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा अधिनियम के अध्याय VIII के अधीन कोई राशि संदेय हो, वहां प्रतिदाय, यदि कोई हो, समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण से उत्पन्न होने वाली रकम को ऐसी संदेय रकम से मुजरा किया जाएगा।

**7. केंद्रों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होना-** (1) किसी निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक से व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में केंद्र के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) इस संबंध में केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसे व्यक्ति या प्राधिकृत प्रतिनिधि से लिखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना, केंद्र से प्राप्त पृच्छा या स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त अनुपालना होगी ।

(3) केंद्र, ऐसे स्पष्टीकरण, साक्ष्य या दस्तावेज जो समकरण उद्ग्रहण विवरण को के सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, मंगा सकेगा और ऐसे सभी स्पष्टीकरण, साक्ष्य या दस्तावेज इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे ।

**8. सूचना या संसूचना की तामील -** इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक सूचना, नोटिस या कोई अन्य संसूचना केंद्र से निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को निम्न प्रकार दी जाएगी, --

(i) केंद्र की ई-मेल द्वारा इसे व्यक्ति को इसकी प्रति परिदान करके या इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषण करके;

(ii) अभिहित पोर्टल पर व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक लेखे में इसकी प्रति रख कर; या

(iii) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 282 की उपधारा (1) में उल्लिखित ढंगों में से किसी के द्वारा ।

(ख) संसूचना, आदेश और सूचनाएँ कंप्यूटर द्वारा सृजित की जाएंगी और उसे व्यक्ति के वास्तविक हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

9. प्रक्रिया और प्रसंस्करण विनिर्दिष्ट करने की शक्ति – महानिदेशक, स्वतः यांत्रिक वातावरण में, बोर्ड के अनुमोदन से, समय-समय पर इस स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यकरण के लिए प्रक्रियाएं और प्रसंस्करण विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्रक्रिया और प्रसंस्करण विनिर्दिष्ट करना भी है,-

(i) समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण;

(ii) विवरण ई-फाइलिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई साफ्टवेयर विधिमान्य करना;

(iii) केंद्रों को पृच्छा का उत्तर देने के लिए जानकारी मांगना और इसे कर दाता सेवाओं को प्रदान करना जिसमें निर्धारित या ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा उनके विवरण के प्रसंस्करण में सहायता के लिए स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया जाता है; और

(iv) प्राप्ति, स्कैनिंग, डाटा प्रविष्टि, प्रसंस्करण, प्रतिदाय जारी करना, विवरणों के भंडारण और पुनर्प्राप्ति तथा केंद्रीयकृत रीति में दस्तावेजों की प्राप्ति जैसे कृत्यों पर समकरण उद्ग्रहण प्रशासन का प्रबंध करना ।

[अधिसूचना सं. 03/2023/फा.सं. 370142/01/2023-टीपीएल]

विपुल अग्रवाल, निदेशक

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2023

### INCOME-TAX

**S.O. 614(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 168 of Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following scheme for processing of statement furnished under section 167 of the Act, namely:-

**1. Short title and commencement.**— (1) This Scheme may be called the Centralised Processing of Equalisation Levy Statement Scheme, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** - In this scheme, unless the context otherwise requires,

- (a) “Act” means the Finance Act, 2016 ( 28 of 2016);
- (b) “authorised representative” shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (c) “Centre” means the Centralised Processing Centre as referred in clause (c) of paragraph 2 of the Centralised Processing of Returns Scheme, 2011;
- (d) “Commissioner” means the Commissioner of Income-tax, Centralised Processing Centre as referred in clause (d) of paragraph 2 of the Centralised Processing of Returns Scheme, 2011;
- (e) “designated portal” means the web portal designated as such by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be;
- (f) “Director General” means the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be;
- (g) “ rules” means Equalisation levy Rules, 2016;
- (h) “e-mail” means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message;

- (i) “Equalisation Levy Statement” means the statement furnished under section 167 of the Act;
- (j) “registered electronic account” of the assessee or e-commerce operator means the electronic filing account registered by the assessee or e-commerce operator in designated portal;
- (k) words and expressions used herein but not defined and defined under Chapter VIII of the Act shall have the meaning respectively assigned to them under that Chapter.

**3. Scope of the Scheme.-** This Scheme shall be applicable in respect of processing of the Equalisation Levy Statements.

**4. Furnishing of Equalisation Levy Statement.-** (1) Every assessee or e-commerce operator shall furnish the Equalisation Levy Statement under sub-section (1) of section 167 of the Act within the time stipulated under sub-rule (2) of rule 5 of the rules.

(2) An assessee or e-commerce operator may furnish an Equalisation Levy Statement or a revised Equalisation Levy Statement, as the case may be, under sub-section (2) of section 167 of the Act at any time before the expiry of two years from the end of the financial year in which the specified services was provided or e-commerce supply or services was made or provided or facilitated.

(3) An assessee or e-commerce operator may furnish a Equalisation Levy Statement in response to notice sent by the Assessing Officer under sub-section (3) of section 167 of the Act in accordance with rule 6 of the rules.

**5. Invalid Equalisation Levy Statement.-** The Commissioner may declare an Equalisation Levy Statement, invalid,-

- (i) for non-compliance of procedure for using any software not validated and approved by the Director General; or
- (ii) on account of incomplete information in the Equalisation Levy Statement.

**6. Processing of Equalisation Levy Statement.-** (1) The Centre shall process a valid Equalisation Levy Statement in the following manner, namely:-

- (a) the equalisation levy shall be computed after making the adjustment for any arithmetical error in the Equalisation Levy Statement ;
- (b) the interest, if any shall be computed on the basis of sum deductible or payable, as the case may be, as computed in the Equalisation Levy Statement;
- (c) the sum payable by, or the amount of refund due to, the assessee or e-commerce operator shall be determined after adjustment of the amount computed under clause (b) against any amount paid under sub-section (2) of section 166 or section 166A or section 170 of the Act and any amount paid otherwise by way of tax or interest;
- (d) no intimation shall be prepared or generated and sent, after the expiry of one year from the end of the financial year in which the Equalisation Levy Statement or revised Equalisation Levy Statement is furnished , to the assessee or e-commerce operator specifying the sum determined to be payable by, or the amount of refund due to, him under clause (c); and
- (e) the amount of refund due to the assessee or e-commerce operator in pursuance of the determination under clause (c) shall be granted to him.

(2) Where a revised Equalisation Levy Statement is furnished, the Centre shall process only the revised Equalisation Levy Statement and no further action shall be taken on the original Equalisation Levy Statement if it has not already been processed.

(3) The Commissioner may, –

- (a) adopt appropriate procedure for processing of Equalisation Levy Statements; or
- (b) decide the order of priority for processing of Equalisation Levy Statements based on administrative requirements.

(4) The assessee or e-commerce operator may make an application to the Assessing Officer for amending any intimation issued under section 168 of the Act, within one year from the end of the financial year in which the intimation sought to be amended was issued.

(5) Wherever an Equalisation Levy Statement cannot be processed in the Centre for any reasons, the Commissioner shall arrange to transmit such return to the Assessing Officer having jurisdiction in respect of the assessee or e-commerce operator for the purposes of Chapter VIII of the Act.

(6) In case of error in processing of the Equalisation Levy Statement due to an error in data entry or a software error or otherwise, resulting in excess refund being computed or reduction in demand of tax, the same will be corrected on its own by the Centre by passing a rectification order and the excess amount shall be recovered as per the provisions of sections 220 to 227, 229 and 232 of the Income-tax Act, 1961.

(7) In a case where there is any sum payable by the assessee or e-commerce operator under Chapter VIII of the Act, the refund, if any, arising from processing of the Equalisation Levy Statement, shall be set off against such sum payable.

**7. No personal appearance in the Centre.** (1) No assessee or e-commerce operator shall be required to appear personally or through authorised representative before the Centre in connection with any proceedings.

(2) Written or electronic communication from such person or authorised representative in the format specified by the Centre in this respect shall be sufficient compliance of the query or clarification received from the Centre.

(3) The Centre may call for such clarification, evidence or document as may be required for the purpose of facilitating the processing of Equalisation Levy Statements and all such clarification, evidence or document shall be furnished electronically.

**8. Service of notice or communication.-** For the purposes of this Scheme, -

(a) every intimation, notice or any other communication under this Scheme from the Centre to the assessee or e-commerce operator or its authorised representative shall be made by,—

- (i) delivering or transmitting its copy thereof, electronically to the person sent by the Centre's e-mail;
- (ii) placing its copy in the registered electronic account of the person on the designated portal ; or
- (iii) any of the modes mentioned in sub-section (1) of section 282 of the Income-tax Act, 1961.

(b) The intimation, orders and notices shall be computer generated and need not carry physical signature of the person signing it.

**9. Power to specify procedure and processes. -** The Director General shall, with the approval of the Board, shall specify procedures and processes from time to time for effective implementation and functioning of this Scheme, in an automated and mechanised environment, including specifying the procedure and processes in respect of the following :-

- (i) processing of Equalisation Levy Statement;
- (ii) validating any software used for e-filing the statement;
- (iii) call centers to answer queries and provide taxpayer services which may include outbound calls to assessee or e-commerce operators requesting for clarification to assist in the processing of their statements; and
- (iv) managing equalisation levy administration functions such as receipt, scanning, data entry, processing, issue of refunds, storage and retrieval of statements and documents in a centralised manner.

[Notification No. 03/2023/F.No.370142/1/2023-TPL]

VIPUL AGARWAL, Director